

22.5.2018

पञ्जाब लॉयर्स शाखेतील वकील अदालत  
कोर्टात येऊन करंडा पर पुरा। निजाली मुलगा  
सु लिलावा जा कर शामिल पञ्जाब लॉयर्स  
जाणा।

पञ्जाब लॉयर्स देशल गुमास्ते होणार ना

सो वास हे।

22/5/18  
पाठासीन अधिकारी

लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर०ए०एस०)

बे.म. कोर्ट वरडा, प्राय सापवाडा 2018

मुकदमा संख्या:-36115

1- श्री नारायण पिता ऊंकार गाडरी नि. वरडा

2-.....

---प्रार्थीगण

1- श्री वरदा पिता रामा माला नि. वरडा

2- " भगवती पिता रामेश्वर पुराहित ---

3- " भगवान लाल पिता धन्ना चमार ---

4- " रामा पिता धन्ना चमार ---

5- " भुरा पिता गिरधारी धुमधार ---

6- " शंकर पिता मोला बाहमण ---

---विपक्षीगण

P.T.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 22.5.18


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम वरडा पटवार हल्का वरडा तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 853, 854, 1134, 1135, 1146, 1130 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7.5.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वरडा पटवार हल्का वरडा तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 853, 854, 1134, 1135, 1146, 1130 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वरडा को 700/-रु० (अक्षरे- सत्त सौ रुपया

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथारिथिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
हमीरगढ़  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
हमीरगढ़  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ़

- 7- श्री केशीलाल पिता नन्दराम वाटमाणा नि. वरडे ५  
8- श्री मोंगा पिता छेगा चमार  
9- श्री देवासिंह पिता नाथुं सिंह शाण्डुत  
10- श्री मो हलवाल सिंह पिता नाथुं सिंह शाण्डुत  
11- श्री लडसालदार हमीरवाठे